न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीना (RTS) तहसीलदार, रामगंजमण्डी

प्रकरण सं. 10/2016

1. गंगाराम आ0 देवीलाल जाति चमार निवासी
ढाणी रघुनाथपुरातह0 रामगंजमण्डी

प्रार्थी

बनाम

2. राजाराम आ0 बापूदान जाति रैबारी नि0
नूरपुरा तह0 रामगंजमण्डी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी .आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 30–11–2016

संक्षेप में वाद प्रा0 पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गंगाराम आ0 देवीलाल जाति चमार निवासी ढाणी रघुनाथपुरा ने निवेदन किया है कि स्वयं के खाते की अराजी ग्राम जोधपुरा में खसरा नं. 97 की 0.31है0 बा–3 स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि है। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का गरीब सदस्य है। तथा प्रार्थी खुली मजदूरी भी करता है प्रार्थी की गैर मौजूदगी में दिनांक 25/04/2016 को राजाराम आ0 बापूदान रेबारी निवासी नूरपुरा ने जबरन अवैद्य कब्जा कर लिया है तथा काश्त करने के लिये हकाई जुताई करने लग गया है।अप्रार्थी को कब्जा हटाने को कहा तो अप्रार्थी गाली गलोच करने को अमादा होते हुए गाली देता है।व मारने को दौडता है तथा मेरी आराजी से कब्जा छोडने को साफ इन्कार कर दिया है।अतः मेरी उक्त अराजी से इन्हें हटाया जाकर मेरी भुमि मुझे संभलाई जावे।

वाद प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जवाब अन्तर्गत बताया कि ग्राम जोधपुरा की खसरा नं. 97 रकबा 0.81 है0 भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है जिस पर मेरा कोई कब्जा नहीं है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया।पटवारी हल्का से मौका जांच रिपोर्ट ली कर शामिल फाईल की गई।रिपोर्ट अन्तर्गत बताया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी गंगाराम आ0 लाल जाति चमार निवासी ढाणी रघुनाथपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर उक्त भूमि पडत पडी हुई । अप्रार्थी का अवैद्य कब्जा नही है।उक्त आराजी का सीमाज्ञान करा दिया गया है। तथा भूमि बताई कर संभलाई गई है। प्रार्थी संतुष्ट है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड/नकलें/जवाब/रिपोर्ट पटवारी, का अवलोकन किया गया। और म इस निष्कर्ष पर पहुचे कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के खाते की भूमि है।जो पटवारी हल्का अनुसार के पर पडत पडी हुई है अप्रार्थी का किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही है।पटवारी द्वारा मौके पर वादित आराजी की सीमाज्ञान कराई जाकर प्रार्थी को बताई गई।जिससे प्रार्थी पूर्णतया संतुष्ट है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर खिल दफतर हो।

**निर्णय सुनाया गया।**

**तहसीलदार**
**रामगंजमण्डी**

Scanned by CamScanner